न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 36/2019

बउनवानः–

छीतरलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी रींझिया तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्त किए जाने रकबा अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 25.07.2019 | निर्णय दिनांक : 14.12.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खाते की आराजी हाल खाता संख्या 34 खसरा नं0 50 रकबा 1.37 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 123 रकबा 2.02 है0, खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 226 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 419 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम रींझिया में हाल जमाबंदी सम्वत 2074–77 में दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी के हाल सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल 2044–63 अनुसार खसरा नं0 27 रकबा 12 बीघा, खसरा नं0 61 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 63 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 166 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 305 रकबा 3 [illegible] 5 [illegible] कुल किता 5 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा था जो जमाबंदी सम्वत 2036–39 में दर्ज हो रहा है प्रार्थी [illegible] आराजी का रकबा 0.91 है0 कम दर्ज किया है। उपरोक्त आराजी वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों [illegible] कम दर्ज की है। [illegible] रींझिया तहसील मांगरोल के हाल खाता संख्या 34 खसरा नं0 50 रकबा 1.37 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 123 रकबा 2.02 है0, खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 226 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 419 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.48 है0 के कमी रकबे की पूर्ति साबिक खाते अनुसार 0.91 है0 की पूर्ति की जाकर कुल रकबा 5.48 है0 के स्थान पर 6.39 है0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/227 दिनांक 22.01.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम रींझिया की जमाबंदी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 29 पर खसरा नं0 27 रकबा 12 बीघा, खसरा नं0 16 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 63 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 166 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 305 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा दर्ज रेकार्ड था। बाद सेटलमेंट वादी के खाते में खसरा नं0 50 रकबा 1.37 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 123 रकबा 2.02 है0, खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 226 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 419 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.48 है0 दर्ज हुआ जबकि गत रकबा 39–17 का हाल रकबा 6.37 है0 दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार गत की तुलना में 0.89 है0 की कमी हुई किन्तु उसमें से 0.35 है0 की कमी गत खसरा नं0 27 में माईनर निकलने से हुई है। इस प्रकार वादी का गत की तुलना में केवल 0.54 है0 रकबा कम हुआ है लेकिन समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह तो जाहिर किया है कि सेटलमेंट के बाद रकबे में कमी हुई है परन्तु यह स्पष्ट नही किया है कि किस खसरा नम्बरान में रकबा बढा है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि किस खसरा नम्बर में रकबे की कमी की जाकर प्रार्थी के रकबे में हुई कमी की पूर्ति की जावें। पत्रावली में संलग्न अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जवाब के अनुसार समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है जिस कारण रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested